

PRESS COMMUNIQUÉ

Repayment of 'Government of India Floating Rate Bonds (FRB) 2020'

The outstanding balance of '**GOI Floating Rate Bonds (FRB) 2020**' is repayable at par on **December 21, 2020**. No interest will accrue there on from **December 21, 2020**. In the event of a holiday being declared on **December 21, 2020** by any State Government under the Negotiable Instruments Act, 1881, the Loan/s will be repaid by the paying offices in that State on the previous working day.

2. As per sub-regulations 24 (2) and 24(3) of Government Securities Regulations, 2007 payment of maturity proceeds to the registered holder of Government Security held in the form of Subsidiary General Ledger or Constituent Subsidiary General Ledger account or Stock Certificate shall be made by a pay order incorporating the relevant particulars of his bank account or by credit to the account of the holder in any bank having facility of receipt of funds through electronic means. For the purpose of making payment in respect of the securities, the original subscriber or the subsequent holders of such Government Securities, shall submit the relevant particulars of their bank account well in advance. However, in the absence of relevant particulars of bank account / mandate for receipt of funds through electronic means, to facilitate repayment of the Loan on the due date, holders may tender the securities, duly discharged, at the Public Debt Offices, Treasuries / Sub-Treasuries and branches of State Bank of India and its Associate Banks (at which they are enfacéd / registered for payment of interest) 20 days in advance of the due date for repayment.

3. Full details of the procedure for receiving the discharge value may be obtained from any of the aforesaid paying offices.

Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
Budget Division
North Block,
New Delhi-110 001
Dated November 20, 2020.

प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2020 की अदायगी

भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2020 की बकाया शेष राशि की 21 दिसम्बर, 2020 को सममूल्य पर अदायगी देय है। 21 दिसम्बर, 2020 से उस पर कोई ब्याज उपचित नहीं होगा। 21 दिसम्बर, 2020 को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत किसी राज्य सरकार द्वारा अवकाश घोषित किए जाने पर, उस राज्य में अदाकर्ता कार्यालयों द्वारा ऋण की अदायगी पूर्व कार्य दिवस को की जाएगी ।

2. सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उपविनियम 24 (2) और 24 (3) के अनुसार सहायक सामान्य खाताबही अथवा संघटक सहायक सामान्य खाताबही लेखा अथवा स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को परिपक्वता आय का भुगतान उसके बैंक खाते के संबंधित विवरणों को समाविष्ट करते हुए भुगतान आदेश द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा निधियों की प्राप्ति की सुविधा वाले किसी बैंक में धारक के खाते में जमा करके किया जाएगा । प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान के लिए मूल अभिदाता या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के अनुवर्ती धारक अपने बैंक खाते के संबंधित विवरण काफी पहले ही भेज देंगे । तथापि, बैंक खाते के संबंधित विवरण/इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति हेतु अधिदेश के अभाव में, देय तिथि को ऋण की अदायगी को सरल बनाने के लिए, धारक लोक ऋण कार्यालयों, राजकोषों/उप-राजकोषों और भारतीय स्टेट बैंक और इसकी सहायक बैंकों की शाखाओं (जहां वे ब्याज भुगतान के लिए मुखांकित/पंजीकृत हैं) में विधिवत विमुक्त प्रतिभूतियों को, भुगतान हेतु देय तिथि से 20 दिन पूर्व प्रस्तुत कर दें ।

3. उन्मोचन मूल्य प्राप्ति की प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण पूर्वोक्त अदाकर्ता कार्यालयों में से किसी से प्राप्त किया जा सकता है।

भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग, बजट प्रभाग,
नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001
दिनांक 20 नवंबर, 2020